

193

69

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महीन्द्र ग्वालियर कोर्ट कैम्प सर्किट रोवाम 090  
प्रमाण क्रमांक R.1388-11/13



R-1388-11/13 C.F. Rs 20/-

अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह  
डाटा प्रहलाद  
रोवाम, दि. 14.11.12

Amf  
14.11.

~~28-3-13~~

- ॥ 1 ॥ कमली पुत्री रामसुन्दर पत्नी रामसुन्दर दर्जी पेशा गृहकाय, साकिम  
रामरिया तहसील गोपद बनास जिला सीधी 5090
- ॥ 2 ॥ नागमती पुत्री रामसुन्दर पत्नी राममिलन दर्जी पेशा गृह कार्य निवासी  
ग्राम रामरिया तहसील गोपद बनास जिला सीधी 5090
- ॥ 3 ॥ निवृत्त लिया पुत्री रामसुन्दर पत्नी रामलहन ग्राम समुआर तहसील चितरंगी  
जिला सिंगरौली 5090
- ॥ 4 ॥ बाबूलाल पिता श्यामलाल दर्जी पेशा छेती ग्राम रामरिया तहसील गोपद बनास  
जिला सीधी 5090
- ॥ 5 ॥ सुधील पिता श्यामलाल दर्जी पेशा छेती निवासी ग्राम रामरिया तहसील  
गोपद बनास जिला सीधी 5090
- ॥ 6 ॥ विमला पुत्री श्यामलाल पत्नी धूमलाल दर्जी पेशा गृह कार्य निवासी  
ग्राम ब्यौडारी तहसील ब्यौडारी जिला शहडोल 5090
- ॥ 7 ॥ सुन्दर पुत्री श्यामलाल पत्नी मुलुकराज दर्जी पेशा गृह कार्य निवासी  
ग्राम ब्यौडारी तहसील ब्यौडारी जिला शहडोल 5090
- ॥ 8 ॥ रामानुज पिता सुदर्शन दर्जी पेशा छेती निवासी ग्राम ज्या तहसील देवसर  
जिला सिंगरौली 5090
- ॥ 9 ॥ रामरेखा पिता सुदर्शन दर्जी पेशा छेती निवासी ग्राम कनई तहसील  
देवसर जिला सिंगरौली 5090

बनाम

1. शिवकुमार पिता मुन्नीलाल उम्र 50 वर्ष ग्राम कनई  
 2. देवकुमार पिता मुन्नीलाल उम्र 45 वर्ष ग्राम पडोहर  
 3. जयकुमार पिता मुन्नीलाल उम्र 40 वर्ष ग्राम आ  
 4. नन्दकुमार पिता मुन्नीलाल उम्र 35 वर्ष ग्राम डगा सनी का पेशा डेती

सनी निवासी ग्राम तहो देवसर जिला सिंगरौली 4090

5. डोडलाल पिता रामसुन्दर उम्र 60 वर्ष, पेशा डेती निवासी बडोहर तहो

देवसर जिला सिंगरौली 4090  
 (6) शालिकराम पिता महुतुप्यारी उम्र 60 वर्ष पेशा डेती निवासी बडोहर

7. रामजी पिता मटुकथारी दर्जी उम्र 55 वर्ष, पेशा डेती निवासी ग्राम

बडोहर तहोतील देवसर जिला सिंगरौली 4090

8. जितिराम पिता ओमकरण दर्जी उम्र 45 वर्ष पेशा डेती

9. राधेश्याम पिता ओमकरण दर्जी उम्र 40 वर्ष, पेशा डेती

10. सिन्दूराल पिता ओमकरण दर्जी उम्र 35 वर्ष, पेशा डेती अनावेदक क्र 9 स

10 निवासी ग्राम डगा तहो देवसर जिला सिंगरौली 4090

11. अमरसती पुत्री ओमकरण पत्नी <sup>सुप्रसन्न दर्जी</sup> उम्र 35 वर्ष, पेशा गृह कार्य

(12) रामरती पुत्री ओमकरण पत्नी <sup>अमरप्रसाद उम्र 45 वर्ष पेशा गृह कार्य</sup> निवासी ग्राम माजन तहोतील एवं जिला सिंगरौली 4090

-----अनावेदकगण/गैर निगरानी कर्ता गण

निगरानी विरुद्ध न्यायालय श्रीमान अमर कलेक्टर

महोदय, बेदन जिला सिंगरौली के राजस्व प्रकरण

क्रमांक 167/नि./2010-2011 आदेश दिनांक

18.10.2012 आदेश

निरन्तर उपर

राज/राज

M

निगरानी आवेदन मंत्र अन्तर्गत धारा 50 म० 90  
कृ-राज स्व संहिता 1959 ई०

मान्यवर,

आवेदकगण की ओर से निम्न लिखित निगरानी आवेदन मंत्र

प्रस्तुत किया जा रहा है :-

संक्षिप्त में निगरानी के तथ्य इस प्रकार है :-

१। यह कि इस निगरानी प्रकरण से सम्बन्धित भूमियाँ ग्राम डगा  
कनई एवं बडौठर की है, जिसके सम्बन्ध में आवेदक एवं अनावेदकगण  
क्रमिक 1 ता 5 के मध्य मुख्यरूप से विवाद हैं। अनावेदक क्रमांक 6 से 12  
के मध्य आवेदक गण को कोई विवाद नहीं है, किन्तु बाह्य भूमियों के स्व-  
छातेदार होने से उन्हें औपचारिक पक्षकार बनाया जा रहा है।

२। यह कि वादग्रस्त भूमियों स्वर्गीय रामसुन्दर जी की स्वअर्जित  
सम्पत्ति थी। रामसुन्दर की प्रथम विवाहिता पत्नी रजमन्ती से कोई पुरुष  
सन्तान नहीं हुआ। किन्तु 5 पुत्रियाँ पैदा हुई थी, जिनका नाम क्रमशः  
कैमली, नागमती, निवुकुलिया, रेशमी एवं सहीदरी थी जिनमें सहीदरी  
एवं रेशमी की मृत्यु हो चुकी है। सहीदरी के वारिसान क्रमशः अनावेदक  
क्रमिक 4 ता 7 एवं रेशमी के वारिसान 8 ता 10 है, रजमन्ती के मृत्यु  
हो जाने के बाद स्वर्गीय रामसुन्दर ने स्वर्गीय सुशगिया को रैखल पत्नी  
के रूप में रख लिया था रामसुन्दर के वैधियत से सुशगिया से  
अनावेदक क्रमांक 1 ता 4 के पिता मुन्नीलाल एवं अनावेदक क्रमांक 5  
छोट लाल पैदा हुए थे। अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण के प्रचलन के दौरान  
अनावेदक क्रमांक 1 ता 4 के पिता मुन्नीलाल की मृत्यु हो चुकी है।

३। यह कि उपरोक्त तीनों ग्रामों की समस्त भूमियों का आवेदकगण

राजसुभा

M

(69)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R.13.88.111 जिला- सिधरीली

केमवारण विरुद्ध शिवकुमार कौर

(1)	(2)	(3)
15.1.19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री प्रहलद सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर अपर कलेक्टर, जिला- सिधरीली के प्रकरण क्रमांक 169/110-11 में पारित आदेश दिनांक 18.10.12 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 28-3-19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	